



Dated/दिनांक: 23.04.2021

सेवा में,

Mr. M.K Jha
Jalandhar-144008

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूपीबी/आरटी/पीआईओ/21/595** दिनांक **25.03.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
1. Certified Copy of the Prescribed Vigilance Clearance Certificate. 2. Certified Copy of the Prescribed Vigilance Profile Certificate.	1. Vigilance Clearance Certificate Attached at Annexure-A. 2. No such document is available.

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलारी अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 17.05.2021

सेवा में,

Mr. Subhash Chandran K.R.
New Delhi-110001

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूपीबी/आरटी/पीआईओ/21/597** दिनांक **06.04.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था , हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते है। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
1. I am referring to the Point no.24 Mentioned in the General Instructions, Essential information and Clarification of the advertisement (Page 6.) Can a person who has qualified the UGC NET exam in the SC/ST/OBC category apply for an assistant professor I the general or unreserved category? If yes, then under what conditions? 2. Further, provide documentary proof in support of point no. 24 of the advertisement.	1. Information sought under hypothetical question asking for yes/no answers is not available. 2. Annexure-1

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 17.05.2021

सेवा में,

Mr. Arindejit Singh
Bathinda-151001

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00022** दिनांक **02.04.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
Please inform to me regarding the current status of Advt No. CUPB/19-20/013 Dated 27-01-2020	Recruitment is Under Process

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Punjab

(Established vide an Act no. 25(2009) of Parliament)
V.P.O. Ghudda, District Bathinda, Punjab - 151401,
Email: rticell.cupb@gmail.com Website: www.cup.edu.in

Dated/दिनांक: 25.05.2021

सेवा में,

Mr. Gaurav Singhal
Kolkata-700082

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00024** दिनांक **05.05.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सुचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
<p>1. Have all the student and their parents submitted their anti-ragging affidavits at the time of admission as per clause (m) of the regulation 6.2 of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions ,2009</p> <p>2. Has the Institution prominently print UGC Regulation in full in admission brochure/Instruction booklet or the prospectus whether in print or electronic format as per clause (c) of the regulation</p> <p>3. If yes please provide a printed copy of that If no please furnish the reason for violating section 3.1(Clause no –a, b and c) of the UGC Regulations.</p> <p>4. Has the Institution provided every fresh student who were admitted in the Institution provided every fresh student who were admitted in the institution a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn for help and guidance for various purposes including the name and phone number of Wardens Head of the Institution all member of the anti-ragging</p>	<p>1. Affidavits are not taken However undertakings attached at Annexure-I and II are taken form the students and their Parents</p> <p>2. Yes it is available in Prospectus</p> <p>3. Attached at Annexure I and II</p> <p>4. All the important numbers are available I prospectus and on the university website (copy attached at Annexure III)</p>

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Punjab

(Established vide an Act no. 25(2009) of Parliament)
V.P.O. Ghudda, District Bathinda, Punjab - 151401,
Email: rticell.cupb@gmail.com Website: www.cup.edu.in

squads and committees relevant district and police
authorities as per clause (a) of the regulation 6.2

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 10.05.2021

सेवा में,

Mr. Patchala Rajesh
Andhra Pradesh-522508

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00025** दिनांक **10.05.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as per RTI Act 2005
1. Has the appointment of SC category post in English Department is done, if so the details of appointment persons.	Kindly find attached the relevant information as per decision of 35 th Executive Council held on 11/01/2020 (two pages)
2. if not done yet reasons	The same are also available on the university website and link is as follows:
3. Please reply me in English	http://cup.edu.in/documents/minutes_meeting/ec/new/35-EC-MINUTES-PDF.pdf

___Sd___
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Punjab

(Established vide an Act no. 25(2009) of Parliament)
V.P.O. Ghudda, District Bathinda, Punjab - 151401,
Email: rticell.cupb@gmail.com Website: www.cup.edu.in

Dated/दिनांक: 14.06.2021

सेवा में,

Mr. Saurabh Kumar
Samastipur-848114

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00027 दिनांक **10.05.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम/नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as per RTI Act 2005
I had cancelled my Ph.D. Seat in Law RPJ2000407, 20phdlaw12, on 06 April 2021, but I have not received the refund of the fee. As the University, Administration is not accessible physically due to COVID-19 Pandemic, I had mailed the Finance Officer, CUPB for a refund. But even after many reminders I have not received any Information, Kindly share the actions which are taken by the university authorities on my application of refund. Kindly also share the expected date when the refund will be initiated. Kindly also share if there is any other process for refund application sir I am through the financial crisis in this pandemic and I do not have money for basic needs. This refund means a lot to me as it has direct connection with my life and liberty.	Refund case is under process and refund will be released as per the University Rules very soon.

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 23.06.2021

सेवा में,

Mr. Kailash Sharma
Haryana- 123029

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00028 दिनांक **08.06.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था , हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as per RTI Act 2005
<p>1.Kindly Provide certified copy of information regarding reservation Policy of central university of Punjab in undergraduate Postgraduate and PhD Admission</p> <p>2. Kindly provide information about total number of Kashmiri students who have taken admission in Central University of Punjab on basis of Reservation. Also Kindly provide information about total number of Migrant of Kashmir among above during 2016 to 2020.</p> <p>3. Kindly provide information regarding total number of Kashmiri students in Central University of Punjab currently and how many of them availed reservation benefit.</p>	<p>1. The reservation is as per UGC/ Government of India guidelines as adopted by the University from time to time.</p> <p>2. 6(As per record available)</p> <p>3. Currently-1</p>

___Sd___
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलीय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 18.06.2021

सेवा में,

Mr. Pratap Bisht
Dehli-110085

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00029** दिनांक **08.06.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सुचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as per RTI Act 2005
<p>1. How many Appointments have been made from 1996 for the posts of Assistant Prof., Associate Prof. and Professor.</p> <p>2. How many Appointments have been made of the Persons With Disabilities for the posts of Assistant Prof., Associate Prof. and Professor since 1996, or whenever your University or College got started after 1996? Please provide the above sought information under each sub category of the Persons With Disabilities like VH, OH, HH, and so on. The sought information should be provided in accessible format as per the RTI Act 2005 Section (J).</p> <p>3. How many Appointments have been made in the Nonteaching Posts in Group A Group B, Group C and Group D since 1996.</p> <p>4. How many Appointments have been made of the Persons With Disabilities in Nonteaching Posts in Group A, Group B, Group C and Group D since 1996. Universities or Colleges who have started after 1996, may provide the above sought information since they have started.</p> <p>5. Have you prepared the 100 point Roster for the Persons With Disabilities as per the DOPT Norms. If yes, kindly provide me the copy of Rosters of Teaching and Nonteaching posts for the Persons With Disabilities. The copies of the Rosters should be in accessible format as per the RTI Act 2005 Section (J).</p>	<p>The information is already available on University website on blew link: http://cup.edu.in/rews_roaster.php</p>

Sd _____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 23.06.2021

सेवा में,

Mr. Kailash Sharma
Haryana-123029

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आर/टी/21/00006** दिनांक **08.06.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड -19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as per RTI Act 2005
<p>1. Kindly Provide certified copy of information regarding reservation Policy of central university of Punjab in undergraduate Postgraduate and PhD Admission</p> <p>2. Kindly provide information about total number of Kashmiri students who have taken admission in Central University of Punjab on basis of Reservation. Also Kindly provide information about total number of Migrant of Kashmir among above during 2016 to 2020.</p> <p>3. Kindly provide information regarding total number of Kashmiri students in Central University of Punjab currently and how many of them availed reservation benefit.</p>	<p>1. The reservation is as per UGC/ Government of India guidelines as adopted by the University from time to time.</p> <p>2. 6(As per record available)</p> <p>3. Currently-1</p>

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलारी अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



Dated/दिनांक: 15.07.2021

सेवा में,

Ms. Neha Rajput
Delhi-110059

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00031** दिनांक **16.06.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम/नियम के अनुसार सूचना/दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
<p>Dear Sir/ Madam Please provide the following information under the RTI ACT 2005</p> <ol style="list-style-type: none">1. Please provide the income and expenditure detail of students welfare fund for the period April 2018 to March 20212. Please provide the expenditure details of each year according to their respective date (April 2018-March 2021)	<p>Documents related to Student Welfare Fund for 2018-19 and 2019-20 are attached (CP-5 to 6).</p> <p>Details related to 2020-21 can be shared after approval from Statutory bodies.</p> <p>2. Income and Expenditure account for the year ending 2018-19 is attached (CP-3). Link for Annual Financial Report for the year 2018-19 is given below: http://cup.edu.in/annual_financial_report.php</p> <p>Document related to Expenditure for the year 2019-20 attached (CP-4)</p> <p>Details related to 2020-21 can be shared after approval from Statutory bodies.</p>

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

*सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Punjab

(Established vide an Act no. 25(2009) of Parliament)
V.P.O. Ghudda, District Bathinda, Punjab - 151401,
Email: rticell.cupb@gmail.com Website: www.cup.edu.in

Dated/दिनांक: 26.07.2021

सेवा में,

Mr. Sandeep Ghai
Jalandhar-144201

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00032** दिनांक **28.06.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम /नियम के अनुसार सूचना /दस्तावेज़ को जाचने और सही सूचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
I have applied for the post of Statistical Assistant against Advt No. Advt No. CUPB/19-20/04 Dated. 22nd May 2019 but till now, I have not received any intimation regarding the exam conduct or filling the vacant position for the said post. I have already emailed to the recruitment cell in this regard on 15th Oct. 2020 and they said recruitment process is not done till now due to Covid-19, I agree with it. I daily check the email as well as website for the exam intimation but not see any update for the mentioned Advertisement i.e. Advt No. Advt No. CUPB/19-20/04. Sir, I am wonder to see that all other posts against this advertisement are filled and after that many advertisements issued and the Central University Punjab successfully conduct the exams and complete the recruiting process but there is no cancellation Notice, no exam notice or not any further intimation for the post of Statistical Assistant Post against the Advt dated 22nd May 2019. I already ask the recruitment cell for this but no reply, please see the issue and give appropriate solution for this.	The Recruitment is under process. Updates, if any, will be made available at Central University of Punjab's website.

____Sd____
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय
Dated/दिनांक: 26.07.2021

***संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।**

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)



सेवा में,

Ms. Kiran
Haridwar-249407

विषय: सूचना के अधिकार, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।
Subject: Seeking Information under RTI Act, 2005.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आर.टी.आई. आवेदन सं. **सीयूओपीजे/आरटी/ई/21/00033** दिनांक **29.06.2021** के सन्दर्भ में लेख है कि कार्यालय तरफ से आप द्वारा मांगी गई सूचना सम्बंधित विभाग को अग्रेषित की गई थी। लेकिन कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण कार्यालय आपके आरटीआई अनुरोध का जबाब देने में असमर्थ था, हम आपके द्वारा प्रदान किए गया सहयोग की सराहना करते हैं। सम्बंधित विभाग से प्राप्त और आरटीआई अधिनियम/नियम के अनुसार सूचना/दस्तावेज़ को जाचने और सही सुचना भेजने के लिए गठित समिति से यथा- अनुमोदित उत्तर इस प्रकार है :

Required Information	The reply from concerned Department as pre RTI Act 2005
1. Please provide me the information that in your University Teaching and Non -Teaching members are getting remuneration for paper setting, Exam duty and paper checking. 2. If yes then how much remuneration they are getting for paper setting (UG and PG), Exam duty (Invigilator) and Examination copy checking (UG and PG). 3. Please provide me the list of Faculty members selected for Associate Professor and Professor whose past experience are Private or non-Government University/college and counted for the said post. Please provide me the Attested photocopy of their past Experience. 4. Is transport allowance (TA) admissible to all Teaching and Non-teaching members? 5. If TA is given to Teaching and Non-Teaching then provide me the Attested copy of that Rules 6. How many (Minimum) days of attendance per month are mandatory to claim Transport Allowance?	1 and 2: Nil. 3: The information sought is not available in desired manner. However, the list of Associate Professors and professor are available on the website of the university under Reservation Roaster and Register URL http://cup.edu.in/res_roaster.php The experience certificates of any candidate is exempted under Section 8 of RTI Act 2005. The self-declared profile of the faculty is available on university website URL http://cup.edu.in/schools_centres.php 4,5,6: Annexure-1

___Sd___
लोक सूचना अधिकारी
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय

***सम्बंधित विभाग से प्राप्त सूचना प्रदान की गई है।**

नोट: इस आर.टी.आई. से सम्बंधित अपीलिय अधिकारी श्री कँवल पाल सिंह, कुलसचिव, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा हैं। (ईमेल: registrar@cup.edu.in)